

## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 21/2025

दायर दिनांक : 05/05/2025

निर्णय दिनांक : 23/06/2025

### उनवान

1. देवीलाल पिता भूरालाल ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
2. लक्ष्मीलाल पिता भूरालाल ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर

### प्रार्थीगण

### बनाम

1. अम्बालाल पिता नारायण ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
2. मोहन पिता नारायण ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
3. नन्दलाल पिता राधाकिशन ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
4. भैरूलाल पिता उंकार ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
5. सोहनलाल पिता हीरालाल ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
6. नारायण पिता वेरीलाल ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
7. जमनालाल पिता भूरीलाल ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर

### अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

### : निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अ.सं. 1 व 6 ने उपस्थित आकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी 2, 4, 5, 7 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। भूअ.निरीक्षक, आकोला को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम चोरवडी की आ.सं. 1687 रकबा 0.27 है, व आ.सं. 1731 रकबा 0.28 है। भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुरखा पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलेक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर

